फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

विजय कुमार बनाम अनिता जैन
दीवानी वाद संख्या 29/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2025	श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। श्री पवन प्रकाश कुमावत व श्री अजय सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 10.11.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में दिनांक 26.01.2016 को कर रखा था। इसके बावजूद बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 ने इस विवादित संपत्ति का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धोखाधडी कर यह विक्रय पत्र निष्पादित करने का कथन किया था, परंतु जो साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 17.10.2025 को प्रस्तुत किया है उस पर जो जिरह लेखबद्ध की गई, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य लिखित समझौता होने का कथन किया है, एवं इस लिखित समझौता के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में उनके मध्य चल रहे प्रकरणों को निस्तारित करवाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के वास्तविक न्याय निर्णयन हेतु प्रतिवादीगण से वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में निष्पादित किरायानामे, वाद की प्रमाणित प्रतियां, उनके निस्तारण के अंतिम आदेशिकाएं तथा इनके मध्य किए गए लिखित समझौता की प्रतियां तलब करवाया जाना आवश्यक है, जो कि प्रतिवादीगण के कब्जे में है। प्रतिवादीगण ने इन दस्तावेजों को अपने कब्जे में नहीं होने के संबंध में कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजों को प्रतिवादीगण से तलब किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी इस प्रार्थना	

पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजों को तलब करवाना चाहता है वे दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे–खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा जो तनकियात दिनांक 09.10.2023 को विरचित की गई है। उनमें इस न्यायालय को यह निर्णीत करना है कि क्या वादी इकरारनामा दिनांकित 26.01.2016 के विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाये जाने का अधिकारी है अथवा नहीं एवं यह निर्णीत करना है कि क्या इस इकरारनामे के प्रभाव में रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं। इस न्यायालय के मत में वादी जिन दस्तावेजों को प्रतिवादीगण से तलब करवाना चाहता है, वह दस्तावेजात दावा दायरी के पश्चात के है, वह दस्तावेज हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु किस तरह आवश्यक है, इस तथ्य को वादी इस न्यायालय के समक्ष दर्शित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित दस्तावेजों को प्रतिवादीगण से तलब करवाया जाना न्यायसंगत नहीं समझती है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष जिरह गवाह डीडब्ल्यू–1 अनिता जैन/साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 01.12.2025 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)